

## विहार लोक सेवा आयोग 15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना — 800001

विज्ञापन सं.—57/2024, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार के अन्तर्गत राजकीय पोलिटेकिनक/राजकीय मिहला पोलिटेकिनक संस्थानों में व्याख्याता, माईिनंग इंजीनियिंग के कुल 06 (छः) पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आगंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा—निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है।

1. इन रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत है :--

(क)

क्र॰सं॰	कोटि	कोटिवार कुल रिक्ति की संख्या	इनमें महिलाओं के लिए (35%) आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या
1.	अनारक्षित	02	00
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00
3,	अनुसूचित जाति	01	00
4,	अनुसूचित जनजाति	00	00
5.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	02	00
6.	पिछड़ा धर्म	01	00
कुल		06	00

- (ख) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक— 2526, दिनांक— 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/ नतीनी के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्याः— 00
- (ग) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प संख्या—13062, दिनांक—12.10.2017 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम—2016 के आलोक में निःशक्तता से ग्रस्त सम्भीदवारों के लिए 04 (चार) प्रतिशत आरक्षित कुल पदों की संख्या:— 00
- 2. <u>वेतनमान</u> :- वेतन लेवल-9ए (प्रवेश वेतन-रू० 56,100/-)
- 3. <u>शैक्षणिक योग्यता</u> :—माईनिंग इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी शाखा में बी.ई. / बी.टेक. / बी.एस. / बी.एस. सी. (इंजी.) प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ।

B.E/B.Tech/B.S/B.Sc (Engg.) in Mining Engg./Technology with first class or Equivalent.

- नोटः—(i) इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी विषय के लिए Distance Mode/Open University से प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा मान्य नहीं होगी।
  - (ii) विभागीय संकल्प संख्या—816, दिनांक—01.04.2015 के अनुसार व्याख्याता के अर्हता हेतु AMIE (Section- A & B) उत्तीर्ण उम्मीदवार जिनका AMIE में दिनांक—31.05.2013 तक Enrollment with permanent recognition प्राप्त है, को बीठई०/बीठटेक उत्तीर्ण की समतुल्यता के रूप में मान्यता प्रदान की जायेगी।
  - (iii) विमागीय पत्रांक—2130, दिनांक—04.09.2020 के आलोक में B.E./B.Tech में प्रथम श्रेणी से Degree प्राप्त करने के पश्चात् Relevant/Appropriate Branch में सीघे प्राप्त की गई Ph.D की डिग्री की मान्यता दी गई है क्योंकि AICTE द्वारा B.E./B.Tech. के बाद के Relevant/Appropriate Branch में UGC के Guidelines के अनुसार सीघे P.h.D डिग्री प्राप्त होने के पश्चात् अभियंत्रण महाविद्यालय के विभिन्न पदों के लिए योग्य माने गये हैं (Degree के लिए AICTE Notification 1 March 2019 की कंडिका—7.2.1 के अनुसार)। M.Tech. डिग्री की अनुपलब्धता की स्थिति में उन्हें M.Tech. में शन्य अंक प्रदत्त की जाएगी।
  - (iv) Integrated Course से Degree प्राप्त करने की अवधि के पूर्व आंशिक रूप से प्राप्त Degree की मान्यता नहीं दी जायेगी।
  - (v) शैक्षणिक योग्यता में किसी भी तरह की भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी में वर्णित योग्यता ही मान्य होगा।
- 4. <u>उम्र सीमा</u> दिनांक 01.08.2024 को इच्छुक उम्मीदवारों / आवेदकों की उम्र न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा नहीं है। वार्धक्य सेवानिवृति की आयु 65 वर्ष निर्धारित है।
- 5. चयन का आधार निम्नलिखित विवरणी के आधार पर चयन किया जायेगा, जिसके लिए वेटेज स्कीम निम्नवत होगा :--

कुल वेटेज—100				
अकादिमिक रिकॉर्ड और अनुसंघान निष्पादन (वेटेज-20) Academic Record and Research work (Weightage-20 Marks)	कार्यक्षेत्र ज्ञान तथा शिक्षण कौशल का लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) द्वारा मूल्यांकन (वेटेज-40) Evaluation of work Knowledge and Teaching skill Through written Test (objective) (Weightage-40 Marks) लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ (Objective) होगी-इसमें 80 प्रश्न 2 घंटे की अवधि के होंगे एवं पूर्णांक 40 अंक होगा।	साक्षात्कार निष्पादन (वेटेज—15) Interview (Weightage-15 Marks)	संविदा पर नियोजित व्याख्याताओं के लिए (वेटेज–25) For Lecturer engaged on Contract Basis (Weightage-25 Marks)	

gh\_\_\_\_

(a) Maximum 10 (10% of Percentage Marks obtained in B.Tech/B.E/B.S/B.Sc(Engg.) in relevant branch).  (b) Maximum 5 (5% of Percentage Marks obtained in M.Tech/M.E/M.S in	इंजीनियरिंग / ग्रीधोंगिकी संकाय के लिये ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) का पाठ्यक्रम लागू होगा। For Engineering/Technology stream, the syllabus of Graduate Aptitude	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन संविदा पर नियोजित व्याख्याता जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते हैं, को 05 अंक प्रतिवर्ष। (अधिकतम–25 अंक)
relevant branch.	Test in Engineering (GATE) will be applicable.	Weightage to candidates working on contract basis on the post of Lecturer under Department of Science & Technology and
		possessing minimum eligibility-criteria @ 05 marks per year (Maximum- 25 marks)

नोट:--(क) विमागीय पत्रांक--2131, दिनांक-04.09.2020 के आलोक में एकीकृत M.Tech उत्तीर्ण डिग्रीधारी उम्मीदवारों के Integrated Course से प्राप्त M.Tech डिग्री में प्राप्त अंक के प्रतिशत का 15% वेटेज (अधिकतम-15 अंक) दिया जायेगा।

(ख) (a) संविदा पर नियोजित व्याख्याता के लिए Leap year वाले वर्ष की गणना, साधारण वर्ष (365 दिन) के सामान मानी जायेगी।

(b) 6 (छ:) माह से अधिक की कार्यावधि को पूर्ण वर्ष मानकर वेटेज दिया जायेगा।

(ग) प्रासंगिक डिग्री के लिए अखिल भारतीय शिक्षा परिषद विनियम, 2019 की कंडिका—6.4 में निर्धारित प्रावधान लागू होंगे।

- (ध) बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमावली के CGPA एवं ग्रेड को प्रतिशत / अंकों में परिवर्तित किया जाएगा। बोर्ड / विश्वविद्यालय के नियमावली नहीं रहने की स्थिति में AICTE द्वारा CGPA एवं ग्रेड को प्रतिशत / अंकों में परिवर्तित करने का फार्मूला मान्य होगा।
- (इ) विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चथन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक—2374, दिनांक—16.07.2007 एवं पत्रांक—6706 दिनांक—01.10.2008 द्वारा निर्धारित प्रावधानानुसार लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए चालीस प्रतिशत (40%), पिछड़ा वर्ग के लिए साढ़े छत्तीस प्रतिशत (36.5%), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए चौंतीस प्रतिशत (34%) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए बत्तीस प्रतिशत (32%) न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- (च) साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर Short list किया जायेगा।
- (छ) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विमाग के संकल्प ज्ञापांक−2374, दिनांक−16.07.2007 के आलोक में लिखित प्रीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर अन्तर्वीक्षा (साक्षात्कार) के लिए बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधियाचित रिक्तियों के ढ़ाई गुणा होगी। कोटिवार समान कट—ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन अन्तर्वीक्षा के लिए किया जायेगा।
- (ज) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक—22218, दिनांक—12.12.2022 के आलोक में बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरान्त उनकी पूरी सेवा अविध में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम कुल 05 (पाँच) अवसर ही अनुमान्य होंगे। उपर्युक्त निर्धारित पाँच अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारम्भ होगी। पूर्व में उपमोग कर लिये गये अवसरों की एतदर्थ उपेक्षा की जाएगी।

## 🕨 मेधा सूची :--

- लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) में प्राप्त अंकों की अधिमानता तथा अकादिमक अंकों एवं संविदा नियोजन के फलस्वरूप प्राप्त अंकों की अधिमानता के योग के आधार पर आयोग अंतिम चयन हेतु मेधा सूची तैयार करेगा। कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में साक्षात्कार के प्राप्तांक के अनुसार मेधा—क्रम निर्धारित होगा। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी।
- इस विज्ञापन के अन्तर्गत लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।

- meeter a

(i) ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर परीक्षा के किसी भी स्तर/चरण में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा एवं आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्मत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देख होगा।



- (ii) आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।
- (iii)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:--
  - (a) जाति प्रमाण-पत्र
  - (b)स्थायी निवास / मूल निवास प्रमाण-पत्र
- (B) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगाः।

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में; अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी/अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र/भूल निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/स्थायी निवास/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम एवं पता से।

(iv) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरुप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रभाण—पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। अन्यथा आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

आरक्षित कोटि निम्नवत है :--

क्र•सं.	आरक्षित कोटि	ऑनलाईन आवेदन में आरक्षित कोटि	कोटि कोड
1.	अनारक्षित (Unreserved)	UR	01
2.	अनुसूचित जाति (Schedule Caste)	SC	02
3.	अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribe)	\$T	03
4.	अति पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class)	EBC	04
5.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class)	BC	05
6.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section)	EWS	07

(v) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक- 16144, दिनांक- 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

सभी वांछित प्रमाण पत्र इस विज्ञापित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन मरने की अंतिम तिथि—16.07.2024 तक का होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यदि परिस्थिति के अनुरूप आवेदन भरने की अंतिम तिथि का विस्तार किया जाता है, तो उससे अईता संबंधी कोई मी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगी।

- नोट:-(i) <u>ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतू ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है, तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाम देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएँ/शर्त/जानकारी/किसी प्रकार का छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा।</u>
  - (ii) आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय माँगे जाने पर अम्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा--
  - (i) मैट्रिक का प्रमाण-पत्र/अंक प्रमाण-पत्र (जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए)।
  - (ii) स्नातक डिग्री प्रमाण-पत्र (विज्ञापन की कंडिका-3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।
  - (iii) स्नातक अंक पत्र (विज्ञापन की कंडिका-3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप)।
  - (iv) स्नातकोत्तर का प्रमाण-पत्र (दावा करने की स्थिति में)।
  - (v) स्नातकोत्तर का अंक पत्र (दावा करने की स्थिति में)।
  - (vi) पीएच0डी0 प्रमाण-पत्र (दावा करने की स्थिति में)।
  - (vii) विमागीय संकल्प संख्या—816, दिनांक—01.04.2015 के अनुसार व्याख्याता के अर्हता हेतु AMIE (Section- A & B) उत्तीर्ण उम्मीदवार जिनका AMIE में दिनांक—31.05.2013 तक Enrollment with permanent recognition प्राप्त है, से संबंधित प्रमाण—पत्र (दावा करने की स्थिति में)।
  - (viii) बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा निर्घारित नियमावली के CGPA एवं ग्रेड को प्रतिशत / अंकों में परिवर्तित करने का फार्मूला।
  - (ix) विभागीय अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव द्वारा निर्गत विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग के अधीन संविदा पर नियोजित व्याख्याता, जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते हैं, से संबंधित प्रमाण—पत्र (दावा करने की स्थिति में)।
  - (x) पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग के खम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला खम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र)।
  - (xi) पिछड़ा वर्ग /अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित घोषणा पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित ग्रमाण पत्र होने पर)।

gr\_\_\_

- (xii) अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र)।
- (xiii) अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र)। (शुल्क में रियायत/छूट का दावा करने की स्थिति में)।
- (xiv) बिहार राज्य के स्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र (शुल्क में रियायत/छूट का दावा करने के स्थिति में)।
- (xv) दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रपन्न में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र। (शुल्क में रियायत/छूट का दावा करने की स्थिति में)।
- (xvi) सामान्य प्रशासन विमाग, बिहार सरकार के पत्रांक—10668, दिनांक—29.06.2022 के अनुसार बैंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची—I में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रभाण पत्र एवं अनुसूची—II में शपथ पत्र।
- (xvii) केन्द्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हों तो परीक्षा में भाग लेने हेत सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।

(xviii) पहचान पत्र (फोटोयुक्त)।

(xix) हाल का खिंचा हुआ 4 (चार) फोटो।

उपर्युक्त प्रमाण—पत्र सत्यापन के समय मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय अपूर्ण / त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे त्रुटि सुधार का एक अंतिम अवसर (अधिकतम एक सप्ताह) देते हुए औपबंधिक रूप से साक्षात्कार में माग लेने की सशर्त अनुमति दी जायेगी। यदि निर्दिष्ट अवधि के बाद भी अभ्यर्थी सही प्रमाण—पत्र नहीं समर्पित कर पाते हैं, तो उपलब्ध साक्ष्य के गुण दोष के आधार पर इस चयन प्रक्रिया / परीक्षा के प्रारंभ से लेकर अब तक के प्रत्येक चरण में उसकी पात्रता की जाँच कर और सभी चरणों में योग्य और सफल पाए जाने पर ही उसे अंतिम रूप से सफल गाना जायेगा।

## 7. <u>शुल्क</u>:--

अम्यर्थियों को Biometric fee के रूप में 200/- (दो सौ) रूपये के साथ कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाना है:-

- (i) सामान्य अभ्यर्थियों के लिए-- 750/-(सात सौ पचास) रूपये
- (ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए- 200/- (दो सौ) रूपये
- (iii) सभी आरक्षित / अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए- 200 / (दो सौ) रूपये
- (iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% या उससे अधिक) के लिए- 200/- (दो सी) रूपये
- (v) अन्य सभी जम्मीदवारों के लिए- 750 /- (सात सौ पचास) रूपये

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

- नोट:-(i) वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या (Aadhaar No.) अंकित किया जाता है, उन्हें Biometric fee के रूप में 200/-(दो सौ) रूपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।
  - (ii) वैसे सभी आरक्षित कोटि के अम्यर्थी / अनारिक्षत महिला अभ्यर्थी, जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अम्यर्थी द्वारा आरक्षण, दिव्यांगता एवं बिहार राज्य के स्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनिर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वंय निर्णय ले सकते हैं।
  - ऑनलाइन आवेदन पत्र मरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:- (i)

4

1.	ऑनलाइन आवेदन प्रारम्म करने की तिथि	24.06.2024
2.	ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	16.07.2024

(ii) अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन/कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

(iii) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में मरे गये शैक्षणिक योग्यता, संविदा आधारित अनुभव तथा आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जायेगी। ऑनलाइन आवेदन में भरे गये प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच और भूल प्रमाण पत्रों से मिलान सिर्फ साक्षात्कार के समय ही किया जायेगा। इसके पूर्व इसकी जाँच सामान्यतया नहीं होगी और बाद में जाँच में प्रमाण—पत्र सही नहीं पाये जाते हैं, अथवा अभ्यर्थी द्वारा दिया गया तथ्य/साक्ष्य गलत/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन रह हो जायेगा और इस पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा और उस पर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी। साथ ही इस कारण अभ्यर्थी को वर्तमान और भविष्य के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी अभ्यर्थी की ही होगी।



(iv) ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश आयोग के आधिकारिक वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in/www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है।

अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही–सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे।

- (A) Registration के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन पेमेंट करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि Registration में प्रविष्ट की गई सारी सूचनाएँ सही है। यदि Registration में की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगत होती है तो Cancel करते हुए नये सिरे से Registration कर सकते हैं।
- (B) Application Form Submit करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः Login कर Dashboard पर उपलब्ध Download filled Application Section से भरा हुआ आवेदन Download कर लेंगे।
- नोट:—(i) वैसे अभ्यर्थी, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो फिर मी किसी त्रुटि के दृष्टिगत अपना आवेदन Cancel करना चाहते हों, वे ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व अपने Application को Cancel करते हुए उसी Mobile No./Email ID से दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नये सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जायेगा।
  - (ii) ऑनलाइन आवेदन के क्रम में किसी भी स्तर पर Edit करने का कोई प्रावधान नहीं होगा।

ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रृटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

ऑनलाइन आवेदन में भरे गये सूचनाओं का मूल प्रमाण-पत्र/अंक पत्र से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रह कर दी जायेगी।

- (v) अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करेंगे।
- (vi) ऑनलाइन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाईल नम्बर एवं ई—मेल आई0डी0 अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थित में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाईल नम्बर एवं ई—मेल आई0डी0 अंकित नहीं करेंगे।
- (vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-10668, दिनांक-29.06.2022 के अनुसार बैंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक का दावा करने के स्थिति में ऑनलाइन आवेदन की कंडिका-3 (i) में अंकित श्रुतिलेखक की आवश्यकता है या नहीं (Yes/No) को Select करने के पश्चात् ही श्रुतिलेखक (Scribe) उपलब्ध कराया जायेगा।
- (viii) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (ix) अम्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट (अच्छी) तस्वीर Webcam के माध्यम से खींच कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
- (x) अभ्यर्थी हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। जम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सूरपष्ट है।
- (xi) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अम्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि अद्यतम फोटोग्राफ की पाँच प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।
- (xii) ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अम्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
- (xiii) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- (xiv) इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गये <u>ऑनलाइन आवेदन को डैश बोर्ड से</u> <u>डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे।</u> आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण-पत्र निश्चित रुप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।
- महत्वपूर्ण निर्देश :--
  - (i) अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को सबिमट करने के बाद अम्यर्थी उसी समय पुनः Login कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध "Download Filled Application Section" से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र/कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा

gr\_\_\_

किसी भी समय या आवश्यकता अनुसार भागे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं समी संबंधित मूल प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।

(ii) ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण-पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण-पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण-पत्र निर्गत

की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे।

10. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन मरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जायेगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

11. शैक्षिक परीक्षा एवं अनुभव संबंधी प्रमाण–पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन–पत्र में किया है।

12. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट <u>www.bpsc.bih.nic.in</u> पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।

13. उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाईट <u>www.bpsc.bih.nic.in</u> पर प्रदर्शित है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे, साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा परीक्षा शुल्क मुगतान किसी भी परिस्थित में वापस नहीं किया जायेगा।

14. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन / सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की श्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकृल परिणाम हेतु आवेदक

स्वयं जिम्मेवार होंगे।

अपर सचिव—सह—परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।